सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0- 360/2022 दिनांक- 30-अक्टूबर-2022

प्रेस नोट

थाना बिलरियागंज

बच्ची से छेडखानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना :-

दिनांक 27.10.2022 को वादी थाना स्थानीय द्वारा बताया गया कि दोपहर 14.00 बजे उसकी पोती गाँव के बगीचे (कब्रिस्तान) मे खेलने गयी थी उसी समय गाँव के ही एक लड़के ने उसकी पोती को छेड़खानी करने की नियत से उठाकर कब्रिस्तान के पिछे मुज कि तरफ ले जा रहा था की गांव बच्चे जो बकरी चरा रहे थे शोर गुल मचाने लगे तब वह लडका मेरी पोती को छोड़कर भाग गया था। जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 233/2022 धारा 354ख भा0द0वि0 व 9(M)/10 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 30.10.2022 को उ0नि0 शिवकुमार यादव मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र इमरान सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को अण्डाखोर तिहारे के पास से समय करीब 10:30 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सोनू पुत्र इमरान सा0 मोहम्मदपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 233/2022 धारा 354ख भा0द0वि0 व 9(M)/10 पास्को एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 शिवकुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 आफताब आलम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 अनिरूद्ध थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना दीदारगंज

मारपीट के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना:-

दिनांक 29.10.2022 को वादिनी मुकदमा के द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गयी कि वादिनी को घर में से खीचकर बाहर लाया गया और बेइज्जत करने के इरादे से कपडा फाडने लगे व निर्वस्त्र करने लगे मना करने पर लाठी डंडे से मारना पीटना व गाली गलौज देना, धमकी देना व सर के बाल को छिल देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 272/22 धारा 323,354ख,452,504,506,509 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी थी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 30.10.2022 को उ0नि0 दशरथ उपाध्याय मय हमराह मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धीत अभियुक्तो 1.रमई पुत्र स्व0 राजवली उम्र करीब 28 वर्ष 2. शिवशंकर पुत्र स्व0 राजवली उम्र करीब 21 वर्ष साकिनान ग्राम भडेहरी थानागद्दी थाना केराकत जनपद जौनपुर को ग्राम अमरेथू से समय करीब 9:40 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता :-

1.रमई पुत्र स्व0 राजवली उम्र करीब 28 वर्ष सा0 ग्राम भडेहरी थानागद्दी थाना केराकत जनपद जौनपुर।

2. शिवशंकर पुत्र स्व0 राजवली उम्र करीब 21 वर्ष सा0 ग्राम भडेहरी थानागद्दी थाना केराकत जनपद जौनपुर।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 272/22 धारा 323,354ख,452,504,506,509 भादवि थाना दीदारगंज।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रविजय प्रताप सिंह थाना दीदारगंज आजमगढ़ 0नि0
2. उदशरथ उपाध्याय थाना दीदारगंज आजमगढ 0नि0

3. कादीपू शर्मा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ 0

4.का0 अभिमन्यू मौर्य थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

थाना- तरवा

बालिका से दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

1.पूर्व की घटना

दिनांक 28.10.22 को वादी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी की वादी की पुत्री (पीड़िता) के साथ दो वर्ष से घर पर ही शारिरिक सम्बन्ध बनाने एवं तीन माह की गर्भवती हो जाने पर गर्भ पात के लिये दवा खिला देने व किसी से बताने पर जान से खत्म कर देने तथा पीड़िता के गर्भपात भ्रूण को गांव के ही कब्रीस्तान में दफन किये जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 295/22 धारा 376, 313, 506 भादवि व 5 जे0 (II) / 6 पाक्सो एक्ट पंजिकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

2. गिरफ्तारी की विवरण-

आज दिनांक 30.10.2022 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त को ग्राम खरिहान दुर्गा मन्दिर के पास से समय करीब 07.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय कीया जा रहा है।

3.पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 295/22 धारा 376, 313, 506 भादवि व 5 जे0 (II) / 6 पाक्सो एक्ट थाना तरवा आजमगढ़

4. गिरफ्तार अभियुक्त

1. नदीम उर्फ समसुद्दीन पुत्र स्व0 बाबूलाल ग्राम कम्हरिया थाना तरवां जनपद आजमगढ़

5. गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

2-उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल थाना तरवां जनपद आजमगढ़

3-उ0नि0 नरेन्द्र विक्रम सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

4-का0 अमित सिह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

5-का0 संजय यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़

6-म0का0 रागनी सिह थाना तरवां जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली, आजमगढ़

पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिये गये अभियुक्त के निशानदेही पर 01 अदद 32 बोर लाइसेंसी असलहा व 3 अदद कारतूस बरामद, व धारक गिरफ्तार

पूर्व की घटना –

वादी मुकदमा विजय कुमार चौधरी पुत्र कतवारू चौधरी निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि दिनांक 11.10.2022 को शाम 6.00 बजे मेरा पुत्र दिब्यांशू चौधरी घर से घूमने के लिये अभिषेक उर्फ निक्की उपाध्याय के हाता के तरफ गया था निक्की उपाध्याय के हाता के पास 1. सौरभ यादव उर्फ निरहू पुत्र विन्ध्याचल यादव 2. राजू यादव उर्फ राजू पुत्र मनोज यादव 3. गुड्डू शर्मा पुत्र गणेश शर्मा 4. अभिषेक उर्फ निक्की पुत्र स्व. सुरेश उपाध्याय निवासीगढ मोहल्ला एलवल थाना कोतवाली जिला आजमगढ भी वही घूम रहे थे मेरे लडके से इन लोगो ने कुछ तू तू मै मै गाली गलोज होने लगा इसी दौरान इन्ही लोगो मे से किसी ने मेरे लडके दिब्याशू चौधरी को गोली मार दिया जिससे मेरा लडका गम्भीर रुप से घायल होकर वही पर गिर गया वही आस पास के लोगो द्वारा इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 484/22 धारा 302,504,34 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण –

महेन्द्र कुमार शुक्ला क्षेत्राधिकारी नगर मय हमराहियान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ निक्की उपाध्याय पुत्र स्व0 सुरेश उपाध्याय निवासी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़ का पूर्व से प्राप्त पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर अभियुक्त की निशानदेही पर अभियुक्त के घर के बगल में स्थित खण्डहर मुहल्ला एलवल से 01 अदद 32 बोर लाइसेंसी पिस्टल व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर आज दिनांक 30.10.22 को समय 12.30 बजे नियमानुसार बरामद किया गया तथा बरामद पिस्टल के आधार पर पिस्टल धारक विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 मूलचन्द शाहु निवासी

एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़ के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 513/22 धारा 30 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

***पंजीकृत अभियोग** –*

1. मु0अ0सं0 512/22 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

विरुद्ध अभिषेक उर्फ निक्की उपाध्याय पुत्र स्व0 सुरेश उपाध्याय निवासी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 513/22 धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़ विरुद्ध विशाल गुप्ता पुत्र स्व0 मूलचन्द शाहु निवासी एलवल थाना कोतवाली आजमगढ़

बरामदगी- 01 अदद 32 बोर लाइसेंसी पिस्टल व 03 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम का विवरण –
1.महेन्द्र कुमार शुक्ला क्षेत्राधिकारी नगर
2.हे0कां0 वीरेन्द्र कुमार गौतम
3.हे0कां0 मो0 इमरान
4.कां0 अनिल कुमार विश्वकर्मा
समस्त क्षेत्राधिकारी नगर कार्यालय आजमगढ़